

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.7 (103) परि/नियम/मु./94/

जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश 23/2016

विभाग द्वारा राज्य में कार्यरत वाहन विक्रेता/ट्रैडधारक, जो पंजीयन कार्य हेतु अधिकृत हैं; के द्वारा विक्रित की जाने वाले वाहनों से प्राप्त कर व फीस को कार्यालय आदेश संख्या 34/2004 दिनांक 03.07.2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) में कार्यालय आदेश संख्या 23/2015 दिनांक 29.07.2015 से संशोधन किया जाकर ई-ग्रास चालान के माध्यम से उसी दिन (प्राप्ति के दिन) ही बैंक में जमा करवाने के निर्देश प्रदान किए गए थे।

आदेश संख्या 23/2015 दिनांक 29.07.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न आदेश प्रसारित किए जाते हैं :-

“ डीलर द्वारा वसूली गई कर व फीस राशि प्राप्ति के दिन से अगले बैंक कार्यदिवस तक बैंक में ई-ग्रास (E-Gras) चालान द्वारा जमा करवाई जावेगी। उक्त अवधि में पड़ने वाले राजकीय अवकाश के दिनों को शामिल नहीं किया जावेगा। ”

- इव -

(शैलेन्द्र अग्रवाल)

प्रमुख शासन सचिव

एवं परिवहन आयुक्त

जयपुर, दिनांक : 24/15/16
30

क्रमांक : प.7 (103) परि/नियम/मु./95/ 9918-23

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन)
4. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)..... को उनके क्षेत्राधीन कार्यरत समस्त वाहन विक्रेताओं ट्रैडधारकों से पालना सुनिश्चित कराए जाने हेतु।
5. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्राग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रक्षित पत्रावली।



अपर परिवहन आयुक्त (नियम)